उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय

(वित्त विभाग)

उ0 प्र0 सरकार

विकास दीप, चतुर्थ तल, (छठा लेविल)

22–स्टेशन रोड, लखनऊ

फोन :: 0522–2635125

फैक्स :: 0522–2635299

निदेशालय की वेबसाइट : **http://beema.up.nic.in**

बिन्दु संख्या–1 प्रभाग/प्राधिकरण का संगठन एवं कार्य।

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय का गठन उ0प्र0 सरकार द्वारा वित्त (बीमा) अनुभाग के अधीन कार्यालय ज्ञाप संख्या–बीमा–37/ दस–3–80 लखनऊ दिनांक 29 मार्च, 1980 द्वारा अपने समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कल्याणार्थ उनके भविष्य की सुरक्षा के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु किया गया है।

इस निदेशालय में निम्न राजपत्रित/अराजपत्रित पद स्वीकृत हैं :–

पदनाम	स्वीकृत पद	वेतन बैण्ड	ग्रेड–पे
निदेशक	एक	37400–67000	10000
अपर निदेशक	एक	37400–67000	8700
उप निदेशक	एक	15600–39100	6600
दावा अधिकारी	दो	9300–34800	4800
प्रशासनिक अधिकारी	दो	9300–34800	4600
कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाइजर	एक	9300–34800	4200
आशुलिपिक	एक	5200–20200	2800
प्रधान सहायक	नौ	9300–34800	4200
डाटा इन्ट्री आपरेटर	दो	5200–20200	2800
वरिष्ठ सहायक	अट्ठारह	5200–20200	2800
कनिष्ठ सहायक	सोलह	5200–20200	2000
वाहन चालक	तीन	5200–20200	1900
दफ्तरी कम साइक्लोस्टाइल आपरेटर	एक	5200–20200	1800
चपरासी/डाकरनर/अर्दली	सात	5200–20200	1800
चौकीदार	एक	5200–20200	1800

टिप्पणी:

1. निदेशक, अपर निदेशक, उप निदेशक के पद वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग के हैं। इन पदों पर तैनाती शासन के वित्त (सेवायें) अनुभाग–2 द्वारा की जाती है।

निदेशालय द्वारा शासन की तीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इनका स्वरूप एवं कार्य निम्नवत् है:–

(क) उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा इस प्रदेश के कर्मचारियों के परिवार के कल्याणार्थ तथा उनके भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ''उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना'' लागू की गयी है। यह योजना पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये 01.03.1974 से तथा शेष समस्त राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये 01.03.1976 से लागू की गयी है। शासन द्वारा यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से संचालित की जा रही थी। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (बीमा) अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या बीमा–37/दस–3–80 दिनांक 29 मार्च 1980 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय की स्थापना करते हुए दिनांक 01.03.1980 से इस योजना का क्रियान्वयन निदेशालय के माध्यम से कराया जा रहा है। यह योजना राज्य सरकार के अधीन नियमित अधिष्ठान में नियुक्त समस्त स्थायी /अस्थायी सरकारी सेवकों पर लागू है। यह योजना माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों /न्यायाधीशों उ0प्र0 लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष/ सदस्यों पर ऐच्छिक रूप से लागू है। अखिल भारतीय सेवाओं के ऐसे अधिकारीगण, जो केन्द्रीय समूह बीमा योजना नहीं अपनाते हैं, पर भी यह योजना लागू है। यह योजना कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों के आधार पर वर्गीकृत की गई है। वर्तमान में निम्न तालिका के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों के मासिक वेतन से अभिदानों की कटौती उनके आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा की जाती है और बीमा अभिदान की दरों के सम्मुख अंकित बीमा आच्छादन की धनराशि किसी कर्मचारी की सेवारत अवस्था में मृत होने पर उसके लाभार्थी को अनुमन्य होती है।

क्रमांक	पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन	मासिक अभिदान की दर प्रतिमाह	बीमा आच्छादन	बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दर
1	2	3	4	5
1.	रु0 5401 से अधिक	400	4,00,000	8.6 प्रतिशत त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज
2.	रु0 2801 से रु0 5400 तक	200	2,00,000	–– तदैव ––
3.	रु0 2800 तक	100	1,00,000	–– तदैव ––

योजनान्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी के मासिक अभिदानों का विवरण उनकी सेवापुस्तिका में एक निर्धारित प्रारूप पर शासनादेशसं0 बीमा–2545/दस–54–1981 दिनांक 24 मार्च, 1983 में दी गयी व्यवस्थानुसार रखे जाने का प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को नामांकन प्रपत्र भरे जाने की सुविधा प्राप्त है। योजना के अन्तर्गत किसी भी सरकारी सेवक का दावा उत्पन्न होने पर निर्धारित प्रारूप 31 (संशोधित) पर सम्बन्धित कर्मचारी के अन्तिम सेवारत जिले के कोषागार को प्रेषित किया जाता है। 01.10.1999 से पूर्व के उत्पन्न दावों का निस्तारण दिनांक 01.03.2011 से दिनांक 30.09.2011 तक के ग्रेड पे रु0 5400/– से अधिक के उत्पन्न दावें तथा दिनांक 01.10.2011 से ग्रेड पे रु0 6600/– या उससे अधिक केवल समूह ''क'' में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों के दावों का निस्तारण बीमा निदेशालय द्वारा किया जाता है तथा समूह ''क'' के ऐसे अधिकारी जो स्वयं आहरण अधिकारी हैं, के उत्पन्न दावों

का निस्तारण भी बीमा निदेशालय द्वारा किया जाता है। किसी सरकारी सेवक की यदि कोई त्रुटिवश कटौती हो जाती है तो भी उसका भुगतान बीमा निदेशालय द्वारा किया जाता है। दावा प्रपत्रों को अग्रसारित करने का उत्तरदायित्व प्रदेश के आहरण वितरण अधिकारी को सौंपा गया है। योजनान्तर्गत ई–पेमेन्ट द्वारा इसकी सूचना सरकारी कर्मचारी /लाभार्थी के खाते में धनराशि प्रेषित की जाती है तथा सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/सरकारी सेवक को प्रेषित की जाती है। यह योजना लोक लेखे के लेखाशीर्षक–8011 बीमा तथा पेंशन निधि–107 राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा येाजना–01 उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–बीमा निधि–0101 पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि– 0102 पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि–02 उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–बचत निधि–0201 पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़ कर शेष कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि–0202 पुलिस विभाग के कर्मचारियों से प्राप्त धनराशि एवं इस योजना का संवितरण लेखाशीर्षक–8011 बीमा तथा पेंशन निधि–107 राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–01 उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–बीमा निधि–0101 पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान–0102 पुलिस विभाग के मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बीमा राशि का भुगतान–02 उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना–बचत निधि–0201 पुलिस विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों में से सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बचत राशि का भुगतान–0202 पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त या मृत कर्मचारियों से सम्बन्धित बचत राशि का भुगतान के अन्तर्गत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्राप्तियों/भुगतानों का समग्र लेखा बीमा निदेशालय स्तर पर रखा जाता है। महालेखाकार कार्यालय से योजना संबंधी लेखों के मिलान का उत्तरदायित्व बीमा निदेशालय द्वारा निर्वहन किया जाता है। प्रदेश के समस्त कोषागारों /आहरण वितरण अधिकारियों के कार्यालयों का निरीक्षण /सम्प्रेक्षण का कार्य भी बीमा निदेशालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत देय धनराशि से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। यह योजना प्रदेश के समस्त सरकारी सेवकों के कल्याणार्थ उनके भविष्य की सुरक्षा को दृष्टिगत करते हुए लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदानों के रूप में जो कटौती वेतन से की जाती है, वह दो भागों में राज्य सरकार के लोक लेखों में जमा होती है। एक भाग ''बीमा निधि'' में तथा दूसरा ''बचत निधि'' में जमा होता है। बीमा निधि में जमा होने वाली राशि के विरुद्ध समस्त सेवारत मृत कर्मचारियों का भुगतान किया जाता है और वर्ष के अन्त में जो राशि शेष बचती है वह एक प्रकार से योजना के लाभ के रूप में मानी जाती है।

(ख) <u>उ0 प्र0 इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड स्कीम</u>

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या बीमा–1316/दस–16–80 दिनॉक 21.10.81 के प्रस्तर–25 के अनुसार ''उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना'' के अन्तर्गत ''रिस्क फण्ड'' में उपलब्ध धनराशि के विरूद्ध समस्त सेवारत मृत्यु के दावों का भुगतान किये जाने की व्यवस्था है और वर्ष के अन्त में जो धनराशि शेष बचती है, उसका 90 प्रतिशत अंश शासन द्वारा सरकारी सेवकों तथा उनके परिवारों के लिये कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु एक बेनीवोलेण्ट फण्ड गठित करके उसका उपयोग किया जा रहा है।

बेनीवोलेण्ट फण्ड की प्रबन्ध समिति का गठन शासनादेश संख्या बीमा–3291/ दस–56/1984 दिनॉक 29 नवम्बर,1984 के द्वारा किया गया था। वर्तमान में प्रबन्ध समिति के निम्नलिखित सदस्य हैः–

प्रबन्ध समिति

1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव ।
2	सदस्यगण	1–सचिव, वित्त विभाग। 2–सचिव, कार्मिक विभाग। 3–राज्य संयुक्त संगठन में राज्य कर्मचारी सेवा संघों के प्रतिनिधियों में से शासन के कार्मिक विभाग द्वारा नामित दो प्रतिनिधि।
3	संयोजक	तुरन्त कार्य प्रारम्भ करने हेतु इस पद का कार्य निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय लखनऊ द्वारा सम्पादित किया जायेगा। इस पद पर स्थाई व्यवस्था के संबंध में प्रबन्ध समिति को निर्णय लेने का अधिकार होगा।
4	कोषाध्यक्ष	निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

लागू योजनायें

(अ) बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता

इस योजना के अन्तर्गत बीमारी या दुर्घटना के फलस्वरूप उन मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवक को सहायता दी जाती है जो स्थायी रूप से अपंग हो गये हों और इस अपंगता के फलस्वरूप उन्हें सरकारी सेवा से हटना पड़ा हो।

शासनादेश संख्याः बीमा–3291/दस–56/1984, दिनांक 29.11.84 में निर्धारित प्रक्रियानुसार बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित सरकारी सेवक को आवेदन पत्र अपने विभागाध्यक्ष /प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करना होता है। सरकारी सेवक के इस हद तक अक्षम हो जाने की स्थिति में जिसमें वह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने योग्य न रह जाय, यह प्रार्थना पत्र उसके सामूहिक बीमा योजना के नामिनी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यदि नामांकन न भरा गया हो तो प्रार्थना पत्र विभागाध्यक्ष /प्रशासनिक विभाग द्वारा निर्धारित उसके निकट सम्बन्धी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विभागाध्यक्ष /प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राप्त प्रार्थना पत्र को अग्रसारण पत्र के साथ आवश्यक सूचना देते हुए उ0प्र0 बेनीवोलेण्ट फण्ड के संयोजक को अग्रसारित किया जाता है।

इस योजना के अन्तर्गत, बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता के पात्र अपंग सरकारी सेवक को दी जाने वाली सहायता की धनराशि का निर्धारण प्रबन्ध समिति द्वारा किया जाता है। यह राशि किसी भी हालत में उस धनराशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं होती है, जो अपंग सरकारी सेवक को राज्य सरकार की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत सेवारत मृत्यु की स्थिति में इन्श्योरेन्स कवर के रूप में देय होती है। किसी भी सरकारी सेवक को इस योजना के अन्तर्गत बेनीवोलेण्ट फण्ड से दी जाने वाली सहायता की अधिकतम् धनराशि की सीमा सरकारी सेवक को सेवारत मृत की स्थिति में सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली इन्श्योरेन्स कवर की धनराशि होती है।

(ब) <u>हृदय रोग तथा कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिये प्रदेश से बाहर जाकर इलाज कराने के लिये उ0प्र0 इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता</u>

उ0प्र0 सरकार के अधीन कार्यरत राजकीय अधिकारियों /कर्मचारियों को उ0प्र0 कर्मचारी (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली–1946 के अधीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है। उक्त नियमावली में ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके अन्तर्गत राजकीय अधिकारियों /कर्मचारियों को प्रदेश से बाहर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये किन्तु शासन द्वारा विशेष परिस्थितियों में ऐसे रोगों की चिकित्सा तथा गम्भीर मामलों में विशेषज्ञ चिकित्सा हेतु नियमों में शिथिलता प्रदान कर प्रदेश के बाहर चिकित्सा कराने की अनुमति प्रदान की जाती है। रोगी के साथ प्रदेश से बाहर गये परिचर के रहने, ठहरने, खाने–पीनें आदि की व्यवस्था रोगी को स्वयं वहन करनी पड़ती है इसके अतिरिक्त रोगी की डाइट, डिस्पोजिबल आइटम कुछ औषधियों तथा टानिक लग्जटिव आदि की प्रतिपूर्ति रोगी को नहीं की जाती। आपरेशन में डिसपोजिबल आइटम पर काफी व्यय होता है। फलस्वरूप इस फण्ड से सौ रुपये प्रतिदिन की दर से चिकित्सा की अवधि तक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

इस योजना के अन्तर्गत हृदय रोग तथा कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु रोगी को प्रदेश से बाहर जाकर इलाज कराने के लिये राज्य सरकार की अनुमति के साथ बाहर इलाज कराने की अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। यह सहायता रोगी को इलाज पूर्ण कराने के उपरान्त देय होती है।

इस सहायता को प्राप्त करने हेतु परिपत्र सामू0बीमा–बे0फण्ड–30 /1988,दिनांक 24 जून, 1988 में दी गयी प्रक्रियानुसार सहायता के लिये प्रार्थना पत्र भरकर तीन प्रतियों में प्रशासकीय विभाग/ कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है तथा प्राप्त प्रार्थना पत्र की तीनों प्रतियों पर प्रशासकीय विभाग के अधिकारी /कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रविष्टियॉ पूर्ण करके तथा हस्ताक्षर करके तीनों प्रतियों को प्रशासकीय विभाग /विभागाध्यक्ष को भेजा जाता है। प्रशासकीय विभाग /विभागाध्यक्ष द्वारा तीनों प्रतियों को पत्र के साथ संयोजक, उ0प्र0 इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड को भेजा जाता है।

(स) <u>विकलांग सरकारी सेवकों द्वारा सहायक उपकरणों के क्रय के लिये उ0प्र0 इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता</u>

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी विकलांग सरकारी सेवक द्वारा विकलांगता के लिये क्रय किये जाने वाले सहायक उपकरण के लिये सहायता दिये जाने का प्राविधान है। यह सहायता तभी देय होती है जब किसी अन्य स्रोत से सहायता न प्राप्त हो। सहायता के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय की रसीद की प्रमाणित फोटो कापी संलग्न करनी होती है।

किसी भी विकलांग सरकारी सेवक द्वारा विकलांगता के लिये क्रय किये जाने वाले सहायक उपकरण की धनराशि की अधिकतम् सीमा रु0 2,000/– है। यदि क्रय किये गये सहायक उपकरण का मूल्य रु0 2,000/– से कम है तो सहायता की धनराशि क्रय के वास्तविक मूल्य तक ही सीमित रहती है। यदि किसी सहायक उपकरण का मूल्य रु0 2,000/– अधिक है तो सहायता की धनराशि रु0 2,000/– के वास्तविक मूल्य तक सीमित ही रहती है। यदि किसी सहायक उपकरण का मूल्य रू0 2,000/– से अधिक होती है तो इस संबंध में सहायता की धनराशि रू0 2000/– ही रहती है।

इस सहायता को प्राप्त करने के लिये परिपत्र संख्याः सामू0बीमा –वे0फ0/31/ 1988, दिनांक 24 जून, 1988 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थना पत्र भरकर तीन प्रतियों में प्रशासकीय विभाग के कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होता है। प्राप्त प्रार्थना पत्र की तीन प्रतियों पर प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा

प्रविष्टियां पूर्ण करके तथा हस्ताक्षर करके तीनों प्रतियों को प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है। प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तीनों प्रतियों को पत्र के साथ संयोजक उ0प्र0 बेनीवोलेण्टफण्ड को भेजते है।

(द) <u>सेवारत मृत सरकारी सेवकों के अध्ययनरत उदीयमान पुत्रों/पुत्रियों को अध्ययन पूर्ण करने हेतु सहायता</u>

इस योजना के अन्तर्गत उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित सेवारत मृत सरकारी सेवकों के ऐसे उदीयमान पुत्रों /पुत्रियों को भी जो अत्यन्त प्रतिभावान हो अध्ययन जारी रखने हेतु सहायता दी जाती है। यह सहायता सेवारत सरकारी सेवकों के उन पुत्रों /पुत्रियों को देय होती है, जिन्होंने यू0पी0 बोर्ड की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्रथम दस स्थान प्राप्त किया हो। मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कक्षाओं में सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि से अध्ययनरत पुत्रों/पुत्रियों में से वे ही इस सहायता के पात्र होंगे, जिन्होंने मेडिकल/ इंजीनियरिंग कालेजों में अपने ब्रांच में प्रथम स्थान प्राप्त किये हो। इस मामले में यह सहायता इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के उस कोर्स को पूरा करने की अवधि तक ही दी जाती है जिसमें सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को उसके पुत्र /पुत्रियां अध्ययनरत थे। इसी प्रकार स्नातक तथा परास्नातक कक्षाओं में भी सरकारी सेवक की मृत्यु तिथि को अध्ययनरत उनके उन पुत्रों/ पुत्रियों को सहायता दी जाती है जो सम्बन्धित विश्वविद्यालयों/विद्यालयों में उक्त परीक्षाओं में प्रथम पांच रैंक में स्थान रखते हों। इन मामलों में भी उक्त कोर्स को पूरा करने के लिये ही सहायता दी जाती है परन्तु किसी भी मामले में दी जाने वाली सहायता की अवधि चार वर्षों से अधिक नहीं होती है।

इंजीनियरिंग/मेडिकल की कक्षाओं में अध्ययनरत मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र पुत्रों/पुत्रियों को रुपये छः सौ प्रतिमाह की दर से सहायता देय है। स्नातक/ स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र उन पुत्रों/पुत्रियों को रुपये चार सौ प्रतिमाह की दर से सहायता देय है, जो छात्रावासी छात्र हैं। गैर छात्रावासी छात्रों के लिये सहायता की धनराशि रु0 150/– प्रतिमाह है। इसी प्रकार कक्षा–11 व 12 में अध्ययनरत मृत सरकारी सेवकों के सहायता के पात्र उन पुत्रों /पुत्रियों को रु0 300/– प्रतिमाह की दर से सहायता देय है, जो छात्रावासी छात्र हैं। गैर छात्रावासी छात्रों के लिये यह धनराशि रू0 100/– प्रतिमाह है। सहायता एक वर्ष में दस माहों के लिये ही देय होती है और इसका भुगतान वर्ष में केवल एक बार ही किये जाने की व्यवस्था है। यदि सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि को अध्ययनरत पुत्र/पुत्री वयस्क हैं तो सहायता की धनराशि का भुगतान उसे ही किया जाता है। यदि वह अवयस्क है तो इस धनराशि का भुगतान उसके प्राकृतिक संरक्षक को किया जाता है। यदि प्राकृतिक संरक्षक की मृत्यु हो जाती हो तो इस धनराशि का भुगतान ''गार्जियन एण्ड वार्ड्स एक्ट'' के अन्तर्गत नियुक्त विधिक संरक्षक को किया जाता है।

सहायता प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र भरकर तीन प्रतियों में प्रशासकीय विभाग/कार्यालयाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाना होता है। प्राप्त प्रार्थना पत्र की तीन प्रतियों पर प्रशासकीय विभाग के अधिकारी/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रविष्टियां पूर्ण करके तथा हस्ताक्षर करके तीनों प्रतियां प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष को भेजी जाती है। प्रशासकीय विभाग/विभागाध्यक्ष तीनों प्रतियों को पत्र के साथ संयोजक उ0प्र0 इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड को भेजते है। जिन मामलों में शासनादेश की शर्तें पूरी नहीं होती है, विवाद होता है अथवा सन्देह की स्थिति होती है, उनमें प्रबन्ध समिति का निर्णय प्राप्त किये जाने की व्यवस्था है, जो अन्तिम होता है। सहायता की यह योजना 1.4.88 से लागू है।

वित्त (बीमा) अनुभाग के पत्र संख्या बीमा–3411/दस–86–56/ 1984 दिनॉक 06.12.1986 द्वारा धनराशि रू0 1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़) उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड को स्थानान्तरित करते हुए इस फण्ड के संचालन हेतु जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में फण्ड के नाम से एक पर्सनल लेजर एकाउण्ट (पी0एल0ए0) खोले जाने तथा पी0एल0ए0 में उक्त धनराशि को जमा करने की स्वीकृति प्राप्त हुई।

इस फण्ड में दिनॉक 28.03.2007 को अन्तिम अवशेष रू0 85,70,640.00 है।

(ग) अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर आच्छादित केन्द्रीय समूह बीमा योजना

उत्तर प्रदेश संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर यह योजना दिनांक 1.1.82 से लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों पर माह 1/82 से 12/89 तक रु0 80/– प्रतिमाह एवं 1/90 से रू0 120/– प्रतिमाह की दर से मासिक अभिदान की कटौती किये जाने का प्राविधान है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के केन्द्रीय समूह बीमा योजना संबंधी कार्यो के निष्पादन हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निदेशक, उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ को पदनामित आहरण अधिकारी नामित किया गया है। उ0प्र0 संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी जो प्रदेश में तैनात रहते है, उनके अभिदान प्रदेश के कोषागारों के माध्यम से प्राप्त होते है। ऐसे अधिकारी जो प्रदेश के बाहर प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहते है, उनके संबंध में अभिदान संबंधित विभाग से चेक/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से पदनामित अधिकारी को प्राप्त होते हैं जिन्हें पदनामित अधिकारी द्वारा बैंक में जमा किया जाता हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बाहर तैनात कतिपय अधिकारियों के प्रकरण में सम्बन्धित विभाग अभिदान की धनराशि बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद को भी भेजते हैं जिन्हें महालेखाकार उ0प्र0 इलाहाबाद के स्तर जमा कराकर सम्बन्धित विवरण बीमा निदेशालय को प्रेषित करते हैं। पदनामित आहरण अधिकारी द्वारा अभिदानों की प्राप्त होने वाली जमा की गई धनराशि को समय–समय पर कोषागार, जवाहर भवन से आहरित कर भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अभिदान की अदायगी के रूप में भुगतान की जाती है। उ0प्र0 सवंर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के उत्पन्न दावों को सम्बन्धित अधिकारी/लाभग्रहियों से प्राप्त करके वांछित सूचनाओं सहित पदनामित अधिकारी द्वारा भारत सरकार के सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रेषित किये जाते हैं। भारत सरकार से सम्बन्धित अधिकारी/लाभग्रहियों के पक्ष में प्राप्त चेक अधिकारी/लाभग्रहियों को सम्बन्धित अधिकारी के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है। इस योजना का क्रियान्वयन लेखाशीर्षक– 8658–उचन्त खाता–123 अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना–अंशदान के अन्तर्गत हो रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या–11024/1/99–एआईएस(।।) दिनॉक 22.05.2003 के सन्दर्भ में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः एस0ई0–607/दस–2005– बीमा– 41/ 2003 दिनॉक 06.04. 2005 के द्वारा अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को सेवानिवृत्त/मृत्यु होने पर बीमा/बचत निधि के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है। प्रश्नगत शासनादेश में यह व्यवस्था निर्धारित की गई है कि राज्य संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के ऐसे अधिकारी जो सेवानिवृत्त/सेवा से अन्यथा पृथक होने के समय भारत सरकार में तैनात हो, को छोड़कर अखिल भारतीय सेवा के अन्य समस्त अधिकारियों के समूह बीमा योजना संबंधी दावों का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है। इस संबंध में उपर्युक्त सन्दर्भित

शासनादेश दिनॉक 06.04.2005 में निदेशक, सामूहिक बीमा को भुगतान स्वीकृत किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपरोक्त श्रेणी के अधिकारियों/लाभग्रहियों के देयों का भुगतान एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट जो सुविधाजनक हों, के माध्यम से किया जायेगा। भुगतान की जाने वाली धनराशि लेखाशीर्षक– ''8658–उचन्त लेखे–123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना के अन्तर्गत उप शीर्षक–लाभार्थियों को देय भुगतान'' के नामे डाली जायेगी। निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय द्वारा एकाउण्ट पेयी चेक/बैंक ड्राफ्ट (यथा स्थिति) सीधे लाभग्रही को उनके अभिलेखीय पते पर प्रेषित किया जायेगा। चेक/बैंक ड्राफ्ट भेजे जाने वाले पत्र की प्रतिलिपि यथा स्थिति उत्तर प्रदेश शासन के नियुक्ति अनुभाग/वन अनुभाग एवं पुलिस महानिदेशक को भी प्रेषित की जायेगी।

उपरोक्तानुसार राज्य सरकार द्वारा भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश द्वारा भारत सरकार के संबंधित भुगतान एवं लेखाधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग/गृह मंत्रालय/पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (जैसी स्थिति हो) को प्रस्ताव प्रेषित किया जायेगा तथा उक्त कार्यालय से प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्राप्त चेकों/बैंक ड्राफ्टों को लेखाशीर्षक–''8658–उचन्त लेखा–123–अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना के अन्तर्गत उप शीर्ष लाभर्थियों को देय भुगतान'' में जमा (माइनस डेविट) किया जाना होगा। किसी मामले में दोहरा भुगतान न हो, इस संबंध में नियुक्ति/गृह/वन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा लाभग्रही का दावा अग्रसारण प्रपत्र निदेशक, राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भेजने के समय यह प्रमाण–पत्र दिया जाना होगा कि ''दावे का प्रेषण प्रथम बार किया जा रहा है, और इसके पूर्व निदेशक, बीमा/भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रेषित नहीं किया गया है।'' उक्त के अतिरिक्त दावों के शीघ्र एवं त्वरित निस्तारण के दृष्टिगत लाभग्रही के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोले गये बैंक खाता संख्या, बैंक का नाम/शाखा एवं पता जिसके माध्यम से लाभग्रही बीमा दावा का भुगतान लेना चाहें, तथा लाभग्रही का आवासीय पता स्पष्ट शब्दों में दावा प्रपत्रों पर अंकित करके निदेशालय को प्रेषित की जानी होगी। शासनादेश संख्या एस.ई. 2314/दस–2008–बीमा–19/2002 दिनांक 08.12.2008 द्वारा मासिक अभिदानों की दरों में संशोधन के अन्तर्गत वेतन समिति 2008 के प्रतिवेदन के क्रम में उ0प्र0 राज्य सेवा के ऐसे अधिकारी जो अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नत द्वारा नियुक्त होते हैं, पर सामूहिक बीमा बचत योजना के अन्तर्गत मासिक /आच्छादन की धनराशि में संशोधन नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–एस.ई.72/दस–09–बीमा –19/02 दिनांक 30 मार्च, 2009 अवलोकनीय है।

बिन्दु संख्या–2 प्रभाग/प्राधिकरण के अधिकारियों/कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व

1. निदेशक — विभागाध्यक्ष

- निदेशालय के समस्त विभागीय, प्रशासनिक एवं वित्तीय मामलों के नियंत्रक।
- निदेशालय द्वारा संचालित की जा रही उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना, उ0प्र0

इमप्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड के नियंत्रक एवं अखिल भारतीय समूह बीमा योजना के पदनामित अधिकारी।

- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी ई–पेमेन्ट।

- शासन स्तर पर समय–समय पर आयोजित बैठकों में सम्मिलित होना तथा प्राप्त निर्देशों /आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करवाना।

- निदेशालय के समस्त अधिकारियों /कर्मचारियों का पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण आदि कार्य।

2. उप निदेशक

उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना से सम्बन्धित दावों में वांछित निर्देश प्रदान करना, निदेशालय के अभिलेखों से सम्बन्धित, निदेशालय के भण्डार से सम्बन्धित, कम्प्यूटर से सम्बन्धित, अधिष्ठान सम्बन्धी, लेखा परीक्षण, लेखा निरीक्षण तथा शासन स्तर पर होने वाली बैठकों के लिये वांछित सूचनाओं को तैयार कराने आदि सम्बन्धी कार्य। वाद से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण। केन्द्रीय समूह बीमा योजना से सम्बन्धित कार्यों का पर्यवेक्षण।

उपरोक्त के अतिरिक्त अपर निदेशक एवं निदेशक द्वारा समय–समय पर सूचित/ सौंपे गये अन्य कार्य आदि।

3. दावा अधिकारी

- निदेशालय स्तर से सामूहिक बीमा योजना संबंधी उत्पन्न होने वाले दावो के बिल पारित करना ई–पेमेन्ट कराना दावों में पायी जाने वाली आपत्तियों को दूर करने संबंधी पत्रावलियों का अनुमोदन/दावो से संबंधित प्राप्त वि.पत्रों का निस्तारण कोषागारों/विभागों से प्राप्त मार्गदर्शन संबंधी पत्रों का निस्तारण।

- उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी प्राप्तियों/भुगतानों के लेखों का रख–रखाव, योजना सम्बन्धी लेखा संकलन के कार्य, डाक प्राप्त एवं प्रेषण सम्बन्धी, अखिल भारतीय समूह बीमा योजना के कार्यों का पर्यवेक्षकीय कार्य आदि।
- निदेशालय के कम्प्यूटर सम्बन्धी, अधिष्ठान, बजट, नजारत तथा बेनीवोलेण्ट फण्ड के पर्यवेक्षकीय कार्य।
- निदेशालय के विरुद्ध दायर वादों से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण, भण्डार से सम्बन्धित एवं दिनांक 01.10.1999 के उपरान्त निस्तारित दावों के परीक्षण के कार्यों का पर्यवेक्षण/निस्तारण आदि।

- शासन द्वारा योजना सम्बन्धी समय–समय पर वांछित सूचनाओं को तैयार कराने सम्बन्धी पर्यवेक्षकीय कार्य। निदेशालय के आहरण वितरण अधिकारी के सौंपे गये कार्यों का निस्तारण एवं निदेशक द्वारा नामित जन सूचना अधिकारी के कार्यों का निस्तारण आदि।

- शासन स्तर पर मासिक समीक्षा हेतु निदेशालय की सूचना तैयार कर उपलब्ध कराने सम्बन्धी पर्यवेक्षकीय कार्य।
- उपरोक्त के अतिरिक्त उप निदेशक/निदेशक द्वारा समय–समय पर सूचित /सौंपे गये अन्य कार्य आदि।

इस निदेशालय द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार की जिन तीन योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनमें कार्मिकों के कर्तव्य एवं दायित्व भी निम्न प्रकार से हैं :–

(क) <u>सामूहिक बीमा योजना</u>

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त दावों को रजिस्टर में अंकन के पश्चात कम्प्यूटर में पूर्ण फीडिंग करायी जाती है तत्पश्चात सम्बन्धित सहायक को प्राप्त कराया जाता है। सम्बन्धित सहायक दावों का परीक्षण कर उनमें आपत्तियां एवं भुगतान जैसी

स्थिति हो तद्नुसार दावे पर कार्यवाही हेतु प्रशासनिक अधिकारी/प्रधान सहायक को प्रस्तुत करते हैं जिसपर दावा अधिकारी द्वारा विल पारित किया जाता है/आपत्ति पत्रों पर हस्ताक्षर किये जाते हैं। यथा आवश्यक पत्रावलियां (दावों से सम्बन्धित) निर्णय हेतु उपनिदेशक के माध्यम से निदेशक महोदय को भी प्रस्तुत की जाती हैं। पारित बिलों पर ई–पेमेन्ट द्वारा भुगतान की कार्यवाही करते हुए प्रशासनिक अधिकारी/दावा अधिकारी/निदेशक के स्तर से होते हुए पूर्ण करायी जाती है। ई–पेमेन्ट के अग्रसारण सहायक के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दावा अधिकारी को हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं। उपरोक्त से सम्बन्धित सभी आपत्ति पत्र/भुगतान से सम्बन्धित अग्रसारण डिस्पैच कर डिस्पैच अनुभाग को प्राप्त कराये जाते हैं जहां से डाक टिकटों के माध्यम से लेखे का रख–रखाव करते हुए उनका प्रेषण सुनिश्चित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश के समस्त कोषागारों, शासन के इरला चेक अनुभाग भुगतान एवं लेखाधिकारी कार्यालय, नई दिल्ली से प्रतिमाह सरकारी कर्मचारियों के वेतन से की जा रही सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौतियों के विवरण पत्र इस निदेशालय में प्राप्त कराये जाते हैं जिनका कि संकलित लेखा निदेशालय स्तर पर सहायक द्वारा तैयार कर प्रशासनिक अधिकारी/दावा अधिकारी के माध्यम से उप निदेशक के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार दिनांक 30.09.1999 से पूर्व के मृतक/सेवा निवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना संबंधी प्राप्त दावो पर एवं शासनादेश संख्या–एस.ई.–684/दस–2002– 61(ए)/99, दिनांक 27.03.2002 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्राप्त दावो पर निदेशालय द्वारा किये गये भुगतान एवं दिनांक 01.10.1999 से विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यालयों द्वारा प्राप्त भुगतान के लेखों को संकलित करते हुए लेखे सहायक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी/दावा अधिकारी के माध्यम से उप निदेशक के हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं।

शासनादेश दिनांक 16 जुलाई, 1999 द्वारा दिनांक 01.10.1999 से विकेन्द्रीकृत योजना के अन्तर्गत उपरोक्त कार्यालयों द्वारा किये गये भुगतानों के लेखों का कोषागार वार/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा किये गये भुगतानों की पोस्टिंग करते हुए लेखे प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दावा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं तदोपरान्त इन किये गये भुगतानों का परीक्षण कर लेखे/पत्र सहायक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दावा अधिकारी/ उपनिदेशक को प्रस्तुत किये जाते हैं।

उपरोक्त प्राप्तियों/किये गये भुगतानों के लेखों को समय से महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत करते हुए उनका मिलान किया जाता है और वर्ष के अन्त में निधि के लेखे तैयार कर सहायक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी /दावा अधिकारी/उप निदेशक के माध्यम से निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए लेखा संक्रमण प्रविष्टि द्वारा ब्याज की धनराशि का समायोजन महालेखाकार कार्यालय के स्तर पर कराया जाता है।

(ख) <u>बेनीवोलेण्ट फण्ड</u>

इस योजना से सम्बन्धित प्राप्त प्रार्थना पत्रों का प्रस्तुतीकरण आपत्ति/ भुगतान जैसी स्थिति हो निस्तारण हेतु प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से दावा अधिकारी/उप निदेशक के माध्यम से निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं। इस योजना की पत्रावलियों/प्रार्थना पत्रों का रख–रखाव आशुलिपिक द्वारा किया जाता है। वर्ष के अन्त में निदेशालय द्वारा किये गये भुगतान से कोषागार जवाहर भवन लखनऊ में खोले गये पी.एल. ए. खाते से मिलान कराते हुए उनका सत्यापन कराया जाता है।

(ग) अखिल भारतीय समूह बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत प्राप्त अभिदान (चेक/ड्राफ्ट/पोस्टिंग शेड्यूल्स) का रख–रखाव सहायक स्तर से करते हुए चेक /ड्राफ्ट्स से सम्बन्धित पत्र प्रधान सहायक के माध्यम से दावा अधिकारी को प्रस्तुत किये जाते हैं। इस योजना से सम्बन्धित प्राप्त विचाराधीन पत्र/दावों से सम्बन्धित पत्रावलियां सहायक के माध्यम से प्रधान सहायक/दावा अधिकारी/उप निदेशक द्वारा निदेशक के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

बिन्दु संख्या–3 प्रभाग/प्राधिकरण में सम्पादित किये जा रहे कार्यो के संबंध में निर्णय की प्रकिया तथा परवेक्षण के विभिन्न स्तर पर जबावदेही का निर्धारण

इस निदेशालय द्वारा जिन प्रश्नगत योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उनमें कार्मिकों द्वारा किये गये कार्यों को प्रधान सहायक, प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित अधिकारियों को कार्य अग्रसारित किया जाता है। दावों से सम्बन्धित पत्रावलियों पर निर्णय दावा अधिकारी / उप निदेशक स्तर से लिया जाता है, किन्तु ऐसी पत्रावलियां जिनमें किन्हीं विशेष परिस्थितियों में उच्च आदेशों की आवश्यकता होती है वे पत्रावलियां निदेशक को प्रस्तुत की जाती हैं तथा जिनमें प्राप्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जाती है।

ऐसे प्रकरण जिनमें शासनादेशों से भिन्न स्थितियां उत्पन्न होती हैं तथा निदेशालय स्तर पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है, उन प्रकरणों को शासन को संदर्भित किया जाता है जिनपर शासन से प्राप्त निर्णय के अनुसार ही कार्यवाही की जाती है।

कार्मिकों के कार्यों की जवाबदेही के अन्तर्गत कर्मचारियों पर प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारी पर दावा अधिकारी, कर्मचारियों, प्रशासनिक अधिकारी एवं दावा अधिकारियों पर उपनिदेशक यथा स्थिति निदेशक के अनुसार पर्यवेक्षण के विभिन्न स्तर पर जवाबदेही का निर्धारण किया जाता है।

बिन्दु संख्या–4 प्रभाग/प्राधिकरण के क्रियाकलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान नार्म

सामूहिक बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी सरकारी कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से एक माह पूर्व उसके वेतन से सेवानिवृत्त माह की सामूहिक बीमा की कटौती करते हुए दावा प्रपत्र जी0आई0एस0 प्रपत्र–31 (संशोधित) पर तीन प्रतियों में तैयार कर शासन द्वारा घोषित मूल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय अथवा कोषागार को भेजे जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार सेवारत अवस्था में मृत कर्मचारी का दावा उसकी मृत्यु के तीन दिन के अन्दर जी0आई0एस0 प्रपत्र–31 (संशोधित) पर तीन प्रतियों में तैयार कर शासन द्वारा घोषित मूल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय अथवा कोषागार को भेजे जाने की व्यवस्था है। इसी प्रकार त्रुटिपूर्ण की गयी कटौती की वापसी भी जी0आई0एस0 प्रपत्र–24 पर तीन प्रतियों में तैयार कर शासन द्वारा घोषित मूल आहरण

वितरण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय अथवा कोषागार को भेजे जाने की व्यवस्था है।

लापता सरकारी सेवकों के योजना सम्बन्धी उत्पन्न दावों में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए बचत निधि ब्याज सहित एक वर्ष में भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। इस हेतु भी लापता सरकारी सेवक का दावा प्रपत्र–31 (संशोधित) पर तीन प्रतियों में तैयार कर शासन द्वारा घोषित मूल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय अथवा कोषागार को भेजे जाने की व्यवस्था है एवं लापता माने जाने की तिथि से 7 वर्षों के पश्चात समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए बीमा निधि के भुगतान हेतु दावा प्रपत्र प्रपत्र–31 (संशोधित) पर तीन प्रतियों में तैयार कर शासन द्वारा घोषित मूल आहरण वितरण अधिकारी के माध्यम से इस निदेशालय अथवा कोषागार को भेजे जाने की व्यवस्था है।

उ0प्र0 इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड

इस योजना से दी जाने वाली सहायता सम्बन्धी प्रार्थना पत्र कर्मचारी/लाभार्थी द्वारा अलग–अलग योजनाओं के निर्धारित प्रपत्रों पर तैयार कर अपने विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था है। यह सभी प्रार्थना पत्र विभागाध्यक्ष/प्रशासनिक विभाग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्रों पर भुगतान हेतु बीमा निदेशालय को प्रेषित किये जाते हैं।

अखिल भारतीय समूह बीमा योजना

उ0प्र0 संवर्ग के अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के उत्पन्न दावों को सम्बन्धित अधिकारी /लाभग्रहियों से प्राप्त करके वांछित सूचनाओं सहित नामित अधिकारी (निदेशक) द्वारा सम्बन्धित मंत्रालयों को प्रेषित किये जाते हैं। भारत सरकार से सम्बन्धित अधिकारी /कर्मचारियों के पक्ष में प्राप्त चेक उन्हें सम्बन्धित अधिकारी के प्रशासनिक विभाग के माध्यम से प्राप्त करायी जाती है।

बिन्दु संख्या–5 नियम, अधिनियम, निर्देश तथा उक्त हेतु प्रभाग/ प्राधिकरण में उपलब्ध मैनुवल और अभिलेख

(निम्नलिखित शासनादेश निदेशालय की वेबसाइट संख्या http://beema.up.nic.in पर उपलब्ध)

क्रम संख्या	शासनादेश संख्या	दिनांक	विषय
5.(क)	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना		
1	बीमा–1316/दस–16–80	21–10–1981	राज्य कर्मचारियों के लिये सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।
2	बीमा–1614/दस–81	21–12–1981	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु ''राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि'' के संचालनार्थ बनाई गयी नियमावली।
3	बीमा–1671/दस–81	30–01–1982	सामूहिक बीमा योजना के निमित्त

			बकाया अभिदानों को समायोजित किये जाने की व्यवस्था। (अवकाश तथा निलम्बन की अवधि जिसमें योजना सम्बन्धी मासिक अभिदान न जमा किये गये हों।)
4	बीमा–2545 / दस–54–1981	24–03–1983	राज्य कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा एवं बचत योजना।
5	बीमा–2627 / दस–87 / 83	29–10–1984	दिनॉक 1–3–1985 से राज्य सरकार द्वारा स्वयं संचालित सामूहिक बीमा योजना एवं बचत योजना में संशोधन।
6	बीमा–2825 / दस–85–5 / 1980	25–09–1985	राज्य सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश की गयी कटौती की धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में संशोधित प्रक्रिया।
7	बीमा–56 / दस–86–36 / 1981	10–01–1986	सामूहिक बीमा योजना––लाभार्थी का नामांकन।
8	बीमा–2084 / दस–87–10 / 1987	31–07–1987	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावा प्रपत्रों का संशोधन।
9	बीमा–2289 / दस–87–59 / 1987	11–09–1987	सेवानिवृत्त तथा सेवारत मृत होने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत दावों का प्रेषण।
10	बीमा–20 / दस–93–67(बी)–92	27–02–1993	''उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना'' के अन्तर्गत देय धनराशि में से अन्य शासकीय देयों की वसूली किया जाना।
11	बीमा–145 / दस–94–55 (बी) / 1992	05–02–1994	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण कर लाभार्थी को सीधे चेक भेजा जाना।
12	बीमा–408 / दस–97–105(ए) / 91(टी.सी.1)	17–10–1997	लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान।
13	बीमा–768 / दस–99 / 61 / ए / 99	16–07–1999	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत भुगतान प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण।
14	एस0ई0–684 / दस–2002–61(ए) / 99	27–03–2002	स्वयं आहरण–वितरण अधिकारी अथवा प्रतिनियुक्त पद से

			सेवानिवृत्त अथवा अन्यथा सेवा से पृथक होने वाले अधिकारी/कर्मचारी के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावे के निस्तारण के सम्बन्ध में।
15	एस0ई0–2474/दस–2003–बीमा–19/2002	31–07–2003	''उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना'' के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन के निमित्त वेतनमानों का वर्गीकरण।
16	एस0ई0–188/दस–2004–ई0एम0–16/2001	25–02–2004	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत बचत निधि में जमा धनराशि पर देय ब्याज की दरों में संशोधन।
17	एस0ई–1586/दस–07–बीमा–22/04 टी0सी0–1	06–09–2007	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत दोहरे भुगतानों पर नियंत्रण।
18	एस0ई0–2314/दस–2008–बीमा–19/2002	08–12–2008	वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर पुनरीक्षण।
19	एस0ई–149/दस–09–बीमा–22/04 टी0सी0–1	02–03–2009	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत दोहरे भुगतानों पर नियंत्रण।
20	एस0ई0–1008/दस–2010–बीमा–6/2010	24–11–2010	उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत तीन माह के उपरान्त विलम्ब से भुगतान किये जाने पर अतिरिक्त देय ब्याज का भुगतान।
21	एस0ई0–1987/दस–10 – बीमा–14/08	06–01–2011	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
22	एस0ई0–1988(1)/दस–09–बीमा–14/08	06–01–2011	स्वयं आहरण अधिकारियों के सामूहिक बीमा योजना के मासिक

			कटौतियो का व्यक्तिगत लेजर सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ में रखे जाने के सम्बन्ध में।
23	एस0ई0–400 / दस–2011–बीमा–14 / 08	31–05–2011	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
24	एस0ई0–यू0ओ0–15 / दस–11	13–06–2011	वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत मासिक अभिदान एवं आच्छादन की धनराशि का दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य ग्रेड वेतन के आधार पर उ0प्र0 न्यायिक सेवा / उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों का पुनरीक्षण।
25	एस0ई0–401 / दस–11–बीमा–8 / 11	13–06–2011	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावा प्रपत्रों का संशोधन।
26	एस0ई0–1428 / दस–11–बीमा–14 / 08	23–09–2011	उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के अन्तर्गत उत्पन्न दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में।
27	एस0ई0–1693 / दस–11–बीमा–14 / 08	30–12–2011	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावा प्रपत्रों का संशोधन।
5.(ख)	उ0प्र0 इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड		
1	बीमा–3291 / दस–56 / 1984	29–11–1984	''उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फन्ड'' का गठन तथा उससे बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता।
2	बीमा–880 / दस–87–56–1984	08–05–1987	''उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फन्ड'' की प्रबन्ध समिति की बैठकों में भाग लेने हेतु आने वाले कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को डयूटी पर आने जाने तथा यात्रा भत्ता का भुगतान।
3	सामूहिक बीमा–बे0 फण्ड–29 / 1988	24–06–1988	सेवारत मृत सरकारी सेवकों के अध्ययनरत उदीयमान पुत्रों /

			पुत्रियों को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता।
4	सामूहिक बीमा–बे0 फण्ड–30 / 1988	24–06–1988	हृदयरोग तथा कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिये प्रदेश से बाहर जाकर इलाज कराने के लिये उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता।
5	सामूहिक बीमा–बे0 फण्ड–31 / 1988	24–06–1988	विकलांग सरकारी सेवकों द्वारा सहायक उपकरणों के क्रय के लिये उत्तर प्रदेश इम्प्लाइज बेनीवोलण्ट फण्ड से सहायता।
6	बीमा–1365 / दस–92–157 / 89	11–08–1992	''उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फन्ड'' का गठन तथा उससे बीमारी एवं दुर्घटना के कारण स्थायी रूप से मानसिक तथा शारीरिक रूप से अपंग सरकारी सेवकों को सहायता।
7	2302 / दस–2003–56 / 84	27–08–2003	उत्तर प्रदेश के इम्पलाइज बेनीवोलण्ट फण्ड से राजकीय सेवकों को दी जाने वाली सहायता के सम्बन्ध में।
5.(ग)	अखिल भारतीय समूह बीमा योजना		
1	S-11013/2/81/TA/3845	26-12-1981	Accounting procedure relating to extension of the Central Govt. Employees Group Insurance Scheme 1980 to All India Services Officers.
2	बीमा–255 / दस––52–80	06–03–1982	अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू भारत सरकार की केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 की लेखा प्रक्रिया के सम्बन्ध में।
3	11024/42/83-AIS. II	13-06-1983	All India Services (Group Insurance) Rules, 1981 Payment from saving fund under Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 in the case of a member of the Service who is permitted to retire from Service to get absorbed in Public Sector Undertakings etc.
4	F.15(3)/78-WIP/GIS	30-03-1985	Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Provision of a further option to join the Scheme to employees who had earlier opted to remain out of the scheme.

5	6(1)-EV/86	04-08-1986	Refund of Contribution made under the central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977
6	6(1)-EV/86	25-08-1986	Refund of Contribution under the central Govt. Employees Insurance Scheme, 1977
7	7(6)-EV/86	27-10-1986	Central Govt. Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Provision of a further option to join the scheme to employees who had earlier opted out of the scheme.
8	7(2)-EV/86	27-10-1986	Central Govt. Employees Group Insurance Scheme - obtaining of nominations.
9	8371/दो–1–19/1(101)/85	10–11–1986	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना–1980 योजनान्तर्गत किसी अधिकारी से त्रुटिपूर्ण कटौती की वापसी।
10	7(2)–ई0सी0/86	07–10–1987	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के बारे में स्पष्टीकरण।
11	9/6/टी0ए0/87	12–11–1987	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 को अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों पर लागू करने के सम्बन्ध में लेखाकरण कार्यविधि।
12	बीमा–2905(1)/दस–87–21/87	25–01–1988	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना, 1980 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1987–88 से परिवर्तित लेखा वर्गीकरण का प्रयोग।
13	45030/1/89-IPS.II	30-01-1989	CGEGI Scheme, 1980-Submission of claim alongwith pre-receipted bill, in duplicate in respect of IPS Officers who retires from service or dies while in service or otherwise ceases to be in service to the Central Govt.
14	F.7(5)-EV/89	15-05-1989	Central Government Employees Group Insurance Scheme, 1980 - Updating of the Scheme.
15	एफ–7(5)–संस्था0 ट/89	15–05–1989	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 – योजना को अद्यतन बनाना।
16	एस.ई. –607/दस–2005–बीमा –41/2003	06–04–2005	अखिल भारतीय सेवा (समूह बीमा) नियमावली – 1981 के अन्तर्गत अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों को सेवानिवृत्ति /मृत्यु होने पर

			बीमा/बचत निधि के भुगतान की प्रक्रिया का सरलीकरण।

बिन्दु संख्या–6 प्रभाग/प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन विभिन्न प्रकार के अभिलेख एवं प्रकाशन

(निम्नलिखित प्रपत्र निदेशालय की वेबसाइट संख्या http://beema.up.nic.in पर उपलब्ध)

क्रम संख्या	प्रपत्र	विषय
6.(क)	सामूहिक बीमा योजना	
1	जी0आई0एस0 फार्म संख्या–4	दावेदार से धनराशि प्राप्त होने का प्रपत्र।
2	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–24	सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत त्रुटिवश काटी गयी/जमा धनराशि की वापसी हेतु प्रपत्र।
3	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–26	सेवानिवृत्त अथवा सेवा से अन्यथा पृथक होने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों के सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी दावों के प्रेषण हेतु।
4	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–27	केवल राज्य सरकार के सेवारत मृत अधिकारियों/कर्मचारियों के दावों के प्रेषण हेतु।
5	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–28	राज्य सामूहिक बीमा दावा पंजी (कोषागार .....)।
6	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–29	कोषागार द्वारा तैयार आगणन शीट को आहरण वितरण अधिकारी को प्रेषित करने के सम्बन्ध में प्रचिलित अग्रसारण पत्र।
7	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–30	कार्यालयाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी के स्तर पर उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी उत्पन्न होने वाले दावों को अग्रसारित करने एवं उससे सम्बन्धित प्राप्त चेकों के विवरण की पंजिका।
8	जी0आई0एस0 प्रपत्र संख्या–31	राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के दावों के प्रेषण हेतु निर्धारित प्रपत्र।
9	प्रपत्र संख्या–43 ए(1) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	धनराशि जमा करने का चालान फार्म।
10	विकल्प प्रपत्र का प्रारूप। (पुलिस विभाग के लिए)	शासनादेश संख्या बीमा–2627/दस–87/–83, दिनांक 29–10–84 से आच्छादित पुलिस विभाग के समूह ''ख'' के अधिकारियों द्वारा दिये गये विकल्प प्रपत्र का प्रारूप।
11	परिशिष्ट–एक एवं परिशिष्ट–दो INDEMNITY BOND का प्रारूप। (लापता सरकारी सेवकों के	शासनादेश संख्या बीमा–408/दस–97–105(ए)/91(टीसी–1) दिनांक 17 अक्टूबर, 1997 के अर्न्तगत लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को सामूहिक बीमा की धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में परिशिष्ट – एक विज्ञापन का प्रारूप एवं परिशिष्ट –

	आश्रितों के लिए)	दो INDEMNITY BOND का प्रारूप।
12	सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी नामांकन पत्र का प्रारूप।	शासनादेश संख्या बीमा–56/दस–86–36/ 1981 दिनांक 10 जनवरी, 1986 के अर्न्तगत सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी नामांकन पत्र का प्रारूप।
13	सेवा पुस्तिका में रखे जाने वाले विवरण का रूप–पत्र।	शासनादेश संख्या– बीमा–2545/दस–54–1981 लखनऊ दिनांक 24 मार्च, 1983 का संलग्नक राज्य सरकार के कर्मचारियों की सामूहिक बीमा योजना सम्बन्धी कटौतियों का उनकी सेवा पुस्तिका में रखे जाने वाले विवरण का रूप–पत्र।
6.(ख)	बेनीवोलेण्ड फण्ड	
1	प्रारूप संलग्नक–1 प्रारूप संलग्नक–2	शासनादेश संख्या –बीमा–3291/दस–56/ 1984 दिनांक 29–11–1984 के संलग्नक–– संलग्नक–1 –– सरकारी सेवा के दौरान बीमारी तथा दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी रूप से अपंग सरकारी सेवकों को ''उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड'' से सहायता प्राप्त करने के लिये दिये जाने वाले प्रार्थना–पत्र का प्रारूप। संलग्नक–2 –– उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता प्राप्त करने के लिए प्राप्त प्रार्थना–पत्रों को विभागाध्यक्ष/ प्रशासनिक विभाग द्वारा फण्ड के संयोजक को अग्रसारित किये जाने वाले अग्रसारण–पत्र का प्रारूप।
2	प्रारूप संलग्नक–1 प्रारूप संलग्नक–2	शासनादेश संख्या–सामूहिक बीमा–बे0फण्ड–29/1988 दिनांक 24–06–1988 के संलग्नक–– संलग्नक–1 –– सेवारत मृत सरकारी सेवकों के अध्ययनरत उदीयमान पुत्र/पुत्रियों को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता। संलग्नक–2 –– सेवारत सरकारी सेवक श्री ... पदनाम ... कार्यालय का नाम ... के पुत्र/पुत्री श्री/कु0 ... को अध्ययन पूर्ण करने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता के प्राथना–पत्र का अग्रसारण।

3	प्रारूप संलग्नक–1 प्रारूप संलग्नक–2	शासनादेश संख्या– सामूहिक बीमा– बे0फण्ड –30/1988 दिनांक 24–06–1988 का संलग्नक–– संलग्नक–1 हृदयरोग तथा कैंसर आदि जानलेवा बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश के बाहर जाकर इलाज कराने के लिए उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता। संलग्नक–2 श्री/श्रीमती ... पदनाम ... कार्यालय का नाम ... को प्रदेश से बाहर इलाज कराने हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता के प्राथना–पत्र का अग्रसारण।
4	प्रारूप संलग्नक–1 प्रारूप संलग्नक–2	शासनादेश संख्या– सामूहिक बीमा–बे0फण्ड–31/1988 दिनांक 24–06–1988 का संलग्नक–– संलग्नक–1 –– विकलांग सरकारी सेवकों द्वारा सहायक उपकरणों के क्रय के लिए उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता। संलग्नक–2 –– विकलांग सरकारी सेवक श्री/श्रीमती ... पदनाम ... कार्यालय का नाम ... के सहायक उपकरण के क्रय के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश इम्पलाइज बेनीवोलेण्ट फण्ड से सहायता के प्रार्थना–पत्र का अग्रसारण।
6.(ग)	अखिल भारतीय सामूहिक बीमा योजना	
1	प्रपत्र – क प्रपत्र – ख	शासनादेश संख्या– 8371/दो–1–19/1(101) /85 दिनांक 10–11–1986 का संलग्नक–– 1. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना – 1980 के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण कटौती किए गए अभिदानों की धनराशि की वापसी हेतु दावा प्रपत्र। 2. त्रुटिपूर्ण कटौती किए गए अभिदानों की धनराशि का विवरण।
2	Form No. 8	Nomination for benefits under the Central Government Group Insurance Scheme, 1980

बिन्दु संख्या–7 प्रभाग/प्राधिकरण के कार्य योजना, संरचना में जनता/प्रतिनिधियों का योगदान/प्रतिनिधित्व

संबंधित नहीं।

बिन्दु संख्या–8 परिषदीय कमेटी

संबंधित नहीं।

बिन्दु संख्या–9 प्रभाग/प्राधिकरण के अधिकारियों/ कर्मचारियों की अनुक्रमाणिका

1	श्री राजीव श्रीवास्तव	निदेशक

2	वर्तमान में तैनाती नहीं	अपर निदेषक
3	श्री शीमल चन्द वर्मा	उप निदेशक
4	श्रीमती अंजली सक्सेना	दावा अधिकारी
5	श्री नुसरत अली	प्रशासनिक अधिकारी
6	कु0 इंदु मेहता	प्रशासनिक अधिकारी
7	श्री मनोज कुमार सक्सेना	कम्प्यूटर आपरेटर कम सुपरवाईजर
8	श्रीमती नीरज त्रिपाठी	आशुलिपिक
9	श्री वीरेश्वर सरन सक्सेना	प्रधान सहायक
10	श्री त्रिलोचन सिंह	प्रधान सहायक
11	श्री अनन्त लाल	प्रधान सहायक
12	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	प्रधान सहायक
13	श्री रवीन्द्र कुमार जैन	प्रधान सहायक
14	श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव	प्रधान सहायक
15	श्री भारत भूषण शुक्ला	प्रधान सहायक
16	श्री मनोज कुमार रस्तोगी	डाटा इन्ट्री आपरेटर
17	श्री रवीन्द्र बहादुर श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक
18	श्री रजी अहमद सिददीकी	वरिष्ठ सहायक
19	श्री त्रिभुवन प्रजापति	वरिष्ठ सहायक
20	श्री सुशील कुमार धानुक	वरिष्ठ सहायक
21	श्री प्रकाश दुबे	वरिष्ठ सहायक
22	श्रीमती पुष्पा सिंह	वरिष्ठ सहायक
23	श्री राज कुमार रस्तोगी	वरिष्ठ सहायक
24	श्री बाबू राम	वरिष्ठ सहायक
25	श्री अवधेश कुमार सक्सेना	वरिष्ठ सहायक
26	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक
27	श्रीमती भावना चौधरी	वरिष्ठ सहायक
28	श्री विश्वमीत	वरिष्ठ सहायक
29	श्री भारत शरण	वरिष्ठ सहायक
30	श्रीमती खोमा	वरिष्ठ सहायक
31	श्री राज कुमार श्रीवास्तव	वरिष्ठ सहायक
32	श्री रवि शंकर पाठक	वरिष्ठ सहायक
33	श्री मनु सिंह	वरिष्ठ सहायक
34	श्री किशन लाल	वरिष्ठ सहायक
35	श्री देवी प्रसाद सिंह	कनिष्ठ सहायक
36	श्री दिलीप कुमार कपूर	कनिष्ठ सहायक
37	श्री राजीव कुमार	कनिष्ठ सहायक
38	श्री विक्रम लाल	कनिष्ठ सहायक
39	श्री राजेन्द्र प्रसाद वर्मा	कनिष्ठ सहायक
40	श्री कमल कुमार	कनिष्ठ सहायक
41	कु0 वैष्णवी श्रीवास्तव	कनिष्ठ सहायक

42	श्री नदीमुल हसन	कनिष्ठ सहायक
43	श्री अभय सिंह	कनिष्ठ सहायक
44	श्रीमती सुनीता देवी	कनिष्ठ सहायक
45	श्री ओम प्रकाश	वाहन चालक
46	श्री मोहन सिंह	वाहन चालक
47	श्री मदन गोपाल	वाहन चालक
48	श्री महादेव	दफ्तरी कम साइक्लोस्टाइल आपरेटर
49	श्री चन्द्र प्रकाश	चपरासी
50	श्री अरूण कुमार राजभर	चपरासी
51	श्री राम भुवन सिंह	चपरासी
52	श्री रतनेश कुमार अवस्थी	चपरासी
53		

बिन्दु संख्या–10 अधिकारियों एवं कार्मिकों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्वति।

वित्तीय नियमों एवं शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार इस निदेशालय के अधिकारियों /कर्मचारियों को वेतनमानों के आधार पर वेतन एवं भत्तों को निर्धारित करते हुए भुगतान किया जाता है।

बिन्दु संख्या–11 आवंटित बजट, प्रस्तावित खर्चे एवं भुगतान से सम्बन्धित प्रतिवेदन

अनुदान संख्या – 66, वित्त–विभाग (सामूहिक बीमा)

लेखाशीर्षक		वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए स्वीकृत धनराषि आयोजनेत्तर (हजार रूपये में)
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर		
60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
105–सरकारी कर्मचारी बीमा योजना		
03–कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना		
मानक मद		**मतदेय**
01–	वेतन	**13532**
02–	मजदूरी	**40**
03–	मंहगाई–भत्ता	**16238**
04–	यात्रा–व्यय	**150**
05–	स्थानान्तरण यात्रा–व्यय	**100**
06–	अन्य भत्ते	**1826**
07–	मानदेय	**20**

08–	कार्यालय व्यय	350
09–	विद्युत देय	500
10–	जल कर/जल प्रभार	40
11–	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150
12–	कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	125
13–	टेलीफोन पर व्यय	150
14–	कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों/मोटर गाड़ियों का क्रय	700
15–	गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	500
16–	व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	600
17–	किराया, उप शुल्क और कर स्वामित्व	40
26–	मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र	01
29–	अनुरक्षण	125
42–	अन्य व्यय (मतदेय)	15
	(भारित)	
44–	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	20
45–	अवकाश यात्रा व्यय	40
46–	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्ट वेयर का क्रय	100
47–	कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	150
49–	चिकित्सा व्यय	1500
51–	वर्दी व्यय	15
	योग (मतदेय)	37027
	(भारित)	01
2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–आयोजनेत्तर,		
60– अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम,		
105– सरकारी कर्मचारी बीमा योजना,		
05– बीमा निधि में हुई हानि की प्रतिपूर्ति,		400000
42– अन्य व्यय		
योग–05		400000
कुल योग–		437027
भारित		01

(रुपये तैतालिस करोड़ सत्तर लाख सत्ताइस हजार मात्र)

बिन्दु संख्या–12 अनुदान/राजसहायता कार्यक्रमों के कियान्वयन की रीति।

संबंधित नही।

बिन्दु संख्या–13 रियायतों, अनुज्ञा पत्रों तथा प्राधिकार के प्राप्तकर्त्ताओं के संबंध में विवरण।

संबंधित नही।

बिन्दु संख्या–14 इलैक्ट्रानिक्स माध्यम पर उपलब्ध सूचनायें।

- निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा।
- इस निदेशालय द्वारा संचालित की जाने वाली योजनायें।
- निदेशालय में प्रचलित प्रमुख प्रपत्रों एवं तत्संबंधी शासनादेशों की जानकारी।
- अधिकारियों/कर्मचारियों को देय वेतन से संबंधित सूचनायें।
- शासन द्वारा आवंटित बजट से संबंधित सूचनायें।
- सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अन्तर्गत नामित जन सूचना अधिकारी से संबंधित विवरण।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के पते।

उपरोक्त सूचनायें निदेशालय की वेबसाइट http://beema.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

बिन्दु संख्या–15 सूचना प्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण।

निदेशालय की वेबसाइट संख्या http://beema.up.nic.in पर तथा निदेशालय के नामित जन सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार 2005 अन्तर्गत निर्धारित शुल्क के आधार पर प्राप्त कर सकते हैं। निदेशालय के अन्य अधिकारियों से भी कार्यालय समय के अन्तर्गत सूचना प्राप्त की जा सकती है।

बिन्दु संख्या–16

अपीलीय/नोडल/सतर्कता अधिकारी का नाम, पदनाम तथा विवरण।

1.	अपीलीय/नोडल अधिकारी का नाम	श्री शीमल चन्द वर्मा
2.	पदनाम	उप निदेषक
3.	कार्यालय का पता	22–स्टेशन रोड, विकासदीप, चतुर्थ तल, लखनऊ।
4.	आवासीय पता	बी–1209, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016।
5.	दूरभाष	0522–2635125 0522–2635299

जन सूचना अधिकारी के नाम, पदनाम तथा विवरण।

1.	जन सूचना अधिकारी का नाम	श्रीमती अंजली सक्सेना
2.	पदनाम	प्रषासनिक अधिकारी
3.	कार्यालय का पता	22–स्टेशन रोड, विकासदीप, चतुर्थ तल, लखनऊ।
4.	आवासीय पता	43, हर निवास, अषर्फाबाद, लखनऊ।

5. दूरभाष 0522–2635125
0522–2635299

बिन्दु संख्या–17 अन्य कोई विवरण।

शून्य

प्रपत्र–I

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–6 (1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले प्रार्थना–पत्रों के निस्तारण की सूचना (माह जुलाई, 2015)

विभाग का नाम–वित्त विभाग/उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

क्रम सं0	माह में प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या	विगत माह में अनिस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कुल प्रार्थना–पत्रों की संख्या	माह में निस्तारित प्रार्थना–पत्रों की संख्या		निस्तारण हेतु अवशेष प्रार्थना–पत्रों की संख्या	कुल प्राप्त शुल्क/धनराशि
				प्रार्थना–पत्र निरस्त की संख्या	उपलब्ध करायी गयी सूचना संख्या		
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7{4–(5+6)}	8
1.	01	शून्य	01	शून्य	01	शून्य	रु0 10/–

(राजीव श्रीवास्तव)
निदेशक।

प्रपत्र– II

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 (1) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले अपीलो के निस्तारण की सूचना (माह जुलाई, 2015)

विभाग का नाम–वित्त विभाग/उ0प्र0 राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा निदेशालय, लखनऊ।

क्रम सं0	माह में प्राप्त अपीलो की संख्या	विगत माह में अवशेष अपीलों की संख्या	कुल अपीलो की संख्या	माह में निस्तारित अपीलो की संख्या	निस्तारण हेतु अवशेष प्रार्थना–पत्रों की संख्या
1	2	3	4=(2+3)	5	6=(4–5)
1.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(राजीव श्रीवास्तव)
निदेशक।